

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1681/2025

गुरमुख सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 11 डीएलपी, हनुमानगढ़, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अपने प्रबंध निदेशक, न्यू पावर हाउस, जोधपुर के माध्यम से
2. सचिव, प्रशासन, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
3. सहायक अभियंता (सतर्कता), हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री विवेक फिरोदा

प्रतिवादीगण के लिए : श्री प्रदीप शर्मा

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

27/01/2025

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक 8) के एक आदेश से उत्पन्न हुई है जिसके तहत उसका स्थानांतरण हनुमानगढ़ से कल्याणपुर (बालोतरा) कर दिया गया है। वह राज्य/प्रतिवादी संख्या 1 की विद्युत वितरण कंपनी में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। आरोप यह है कि उसे बार-बार स्थानांतरण का सामना करना पड़ा है, जो विभाग की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है, इसके अलावा अब उसे लगभग 450 किलोमीटर (हनुमानगढ़ से कल्याणपुर) स्थानांतरित होने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, यह याचिका।
-

2. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।
 3. सबसे पहली बात यह है कि अपनी नियुक्ति के समय से ही, याचिकाकर्ता पिछले बारह वर्षों से उसी जिले में प्रश्नगत पद पर निरंतर कार्य कर रहा है। मुझे केवल उसी आधार पर आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।
 4. इसके अलावा, स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता का मामला होने के नाते, यह न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप करने से बचता है और सावधानी से आगे बढ़ता है, जब तक कि यह कानून के स्पष्ट उल्लंघन या अत्यधिक कठिनाई का मामला न हो। इसके अलावा, किसी अधिकारी का स्थानांतरण करना या न करना, प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर नियोक्ता के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है। बल्कि, स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों का एक अभिन्न अंग है। ऐसे आदेशों को दंड या पदोन्नति नहीं माना जाना चाहिए।
 5. वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता को किसी ऐसी प्रकृति की अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो जिसके लिए इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो। याचिकाकर्ता हनुमानगढ़ में 12 वर्षों तक रहा है, जो एक ही स्थान पर एक उचित कार्यकाल से बहुत अधिक है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अनिश्चित काल तक किसी विशेष स्थान पर तैनात रहने के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।
 6. हनुमानगढ़ के भीतर "बार-बार होने वाले स्थानांतरणों" के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा वर्तमान स्थानांतरण आदेश को अमान्य नहीं करता है। एक ही स्थान/जिले के भीतर आंतरिक समायोजन किसी अन्य स्थान पर बाद के स्थानांतरण को वर्जित नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता ने किसी भी कानूनी प्रावधान का हवाला नहीं दिया है जिसका उल्लंघन किया गया हो।
-

7. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, स्थानांतरण सरकारी सेवा का एक अभिन्न हिस्सा हैं और नियोक्ता के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि स्थानांतरण में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि स्पष्ट अवैधता/वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, या दुर्भावनापूर्ण इरादा या किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो। असाधारण कठिनाई, निश्चित रूप से, प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के लिए सामान्य न्यायिक संयम का अपवाद है। निगम/डिस्कॉम के समान वृत्त के भीतर 450 किलोमीटर दूर स्थानांतरित होने की असुविधा मात्र (याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उसी वृत्त अर्थात् जोधपुर में हुआ है - जिसमें 10 जिले हैं), वह भी उसी राज्य में, और/या व्यक्तिगत प्राथमिकता प्रशासनिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकती। सेवा शर्तों के अनुसार, स्थानांतरण वृत्त के भीतर कहीं भी हो सकता है।
8. इस परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका में गुण-दोष का अभाव है और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है।
9. तथापि, यदि किसी वैकल्पिक जिले में कोई रिक्त पद है, जहां उसे समायोजित किया जा सकता है, तो याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपना मामला आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता है, और यदि प्रशासनिक आवश्यकता याचिकाकर्ता के स्थानांतरण स्थान को बदलने की अनुमति देती है, तो तत्काल याचिका को खारिज करना बाधा के रूप में नहीं माना जाएगा।
10. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, को भी निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

50-एसकेएम/-एसपी/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
